उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या- 01 /2022/13(5)/2021/का-1-2021
लखनऊ:: दिनांक 07 जनवरी, 2022

अधिसूचना संख्या- 01/2022/13(5)/2021/का-1-2021, दिनांक 07 जनवरी, 2022 के द्वारा ''उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (इक्कीसवां संशोधन) विनियम, 2021'' का प्रख्यापन (अंग्रेजी रूपांतर सहित) की संलग्न प्रतिलिपि निम्निलखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
6. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ ।
9. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश ।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

शीतला प्रसाद
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या-13/5/2021-का-1-2021
लखनऊ :: दिनांक 07 जनवरी, 2022

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद, 320 के खण्ड-(3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, "उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियम बनाती है:-

"उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (इक्कीसवां संशोधन) विनियम, 2021"

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह विनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (इक्कीसवां संशोधन) विनियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

विनियम 3 में खण्ड-घ का बढ़ाया जाना

2. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग(कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 (यथा संशोधित) में, विनियम 3 में, खण्ड ग के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड घ बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

क्र०सं	विभाग का नाम	पदनाम	पदों की संख्या
1	ग्राम्य विकास	खण्ड विकास अधिकारी	04
2	माध्यमिक/ बेसिक शिक्षा	(क) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	01
		(ख) सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक	02
3	गृह	पुलिस उपाधीक्षक	07
4	पंचायती राज	जिला पंचायत राज अधिकारी	02
5	युवा कल्याण	जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी	02
6	परिवहन	यात्री/माल कर अधिकारी	02
7	वन	क्षेत्रीय वन अधिकारी	02
8	राजस्व	नायब तहसीलदार	02
		योग-	**24**

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/5/2021-ka-1-2021, dated 07 January, 2022:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
PERSONNEL SECTION-1
NOTIFICATION

Miscellaneous

13/5/2021-ka-1-2021
Dated Lucknow, 07 January, 2022

In exercise of the powers conferred by the provisions of clause (3) of Article 320 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following regulations with a view to amending The Uttar Pradesh Public Service Commission(Limitation of Functions) Regulations, 1954 :-

The Uttar Pradesh Public Service Commission(Limitation of Functions) (Twenty First Amendment) Regulations, 2021

Short title and commencement

1. (1) These regulations may be called The Uttar Pradesh Public Service Commission (Limitation of Functions) (Twenty First Amendment) Regulations, 2021

(2) They shall come into force at once.

Insertion of clause D in regulations 3

2. In the Uttar Pradesh Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1954, (as amended) in regulation 3, after clause C, the following clause D shall be inserted namely :-

Sl. No.	Name of Department	Designation	No. of post
1	Rural Development	Block Development Officer	04
2	Secondary/Basic Education	(a) District Basic Education Officer	01

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		(b) Assistant District Inspector of Schools	02
3	Home	Deputy Superintendent of Police	07
4	Panchayati Raj	District Panchayat Raj Officer	02
5	Youth Welfare	District Youth Welfare and Pradesik Vikas Dal Officer	02
6	Transport	Passenger Tax/Goods Tax Officer	02
7	Forest	Range Forest Officer	02
8	Revenue	Naib Tahsildar	02
	Total		**24**

By order,

Dr. Devesh Chaturvedi
Additional Chief Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।